PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Punjab Kesari, Delhi
Wednesday 27th November 2013, Page: 8
Width: 11.43 cms, Height: 11.02 cms, a4, Ref: pmin.2013-11-27.49.89

दवा कम्पनियों में विदेशी निवेश कड़ा करने की वकालत

नई दिल्ली, (भाषा): वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मौजूदा दवा कंपनियों में विदेशी निवेश नियमों को कड़ा करने की वकालत की है। मंत्रालय ने दवा कंपनियों में विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ़आईआई) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित सभी प्रकार की विदेशी भागीदारी को 49 फीसद पर सीमित करने का प्रस्ताव किया है।

सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्ताव का मकसद ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में विदेशी निवेश के स्तर को लेकर स्पष्टता लाना है। पहले यह माना जा रहा था कि एफआईआई निवेश एफडीआई की 49 फीसद की सीमा से ऊपर होगा अब इस प्रस्ताव में कहा गया है कि मौजूदा कंपनियों में एफडीआई व एफआईआई को मिलाकर निवेश की सीमा 49 फीसद होगी।

मंत्रिमंडल ने कल इस प्रस्ताव पर विचार टाल दिया था। मंत्रिमंडल द्वारा जल्द इस पर विचार की उम्मीद है फिलहाल देश में स्वत: मंजूर मार्ग से नई फार्मा कंपनियों में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। इसके अलावा विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की

■ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने किया एफआईआई व एफडीआई सहित सभी प्रकार के विदेशी निवेश को 49 फीसदी पर सीमित करने का प्रस्ताव

अनुमति से मौजूदा फार्मा कंपनियों में भी इतने ही निवेश की अनुमति है। औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) ने बिरले या महत्वपूर्ण फार्मा खंडों में एफ़डीआई की सीमा 100 प्रतिशत से घटाकर 49 फीसद करने का प्रस्ताव किया है। वर्ष 2006 से 2011 के दौरान भारतीय फार्मा कंपनियों के बहुराष्ट्रीय फर्मों द्वारा जोरदार तरीके से किए गए अधिग्रहणों की वजह से मौजूदा फार्मा क्षेत्र में एफडीआई नीति की समीक्षा की जरूरत पड़ी।

नवंबर, 2011 से जुलाई, 2013 के दौरान एफआईपीबी ने फार्मा क्षेत्र के कुल 74 प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकारी हलकों मसलन डीआईपीपी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय फार्मा कंपनियों के विलय एवं अधिग्रहण पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता कम होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के एफडीआई की सीमा को 26 फीसद करने के प्रस्ताव को डीआईपीपी ने खारिज कर दिया था। सरकारी विभागों का कहना है कि भारतीय फार्मा कंपनियों के ऊंचे मूल्यांकन पर अधिग्रहण से जेनेरिक से ब्रांडेड जेनेरिक या पेटेंट वाली दवाओं में बदलाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

Govt.

0